

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक-वा0क0अधि0/युगल पीठ/ 625/2022.लखनऊ:दि0:अप्रैल, 27 ,2022

-:: आदेश ::-

मुख्यालय के आदेशांक-486/22 दिनांक 31.03.2022 द्वारा उत्तर प्रदेश वैट नियमावली-2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन पीठ-1/2/3 लखनऊ हेतु दिनांक 25.04.2022 से 29.04.2022 तक के लिए सदस्य पीठ-1 लखनऊ एवं सदस्य पीठ-3 लखनऊ की युगल पीठ गठित की गई थी।

उत्तर प्रदेश शासन राज्य कर अनुभाग-4 के कार्यालय ज्ञाप सं0-169/11-4-2022-30(12)/2021 दिनांक 25.04.2022 द्वारा श्री अजीत कुमार शुक्ला, सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-3 लखनऊ की तैनाती सदस्य पीठ-फैजाबाद के पद पर की गयी है तथा उन्हें दिनांक 27.04.2022 के अपराह्न से कार्यमुक्त किया जा चुका है।

अतः उक्त परिस्थितियों में गठित युगल पीठ दिनांक 28.04.2022 व 29.04.2022 के लिए निरस्त की जाती है।

ह0 / 27.04.2022

(जितेन्द्र कुमार सिंह)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन::वा0क0अधि0/पूर्ण पीठ/ 625 /2022, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-1/2/3 लखनऊ
2. मुंसरिम/ वैयक्तिक सहायक/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता)/विवरण /कम्प्यूटर, मुख्यालय।
3. सम्बंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/ सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,



(तरुण कुमार)

निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।